न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(56)

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
41/2017/प्रा.पत्र/2017	05.06.2017	20.09.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1– श्री बाल किशन आगीवाल पुत्र संभीर मल एफ.बी.ओ. मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 13 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0
2– मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0
3–श्री अनिल कुमार मानसिंगका डाइरेक्टर मैसंर्स एस्सपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 निवासी लक्ष्मी भवन स्टेशन रोड भीलवाडा राज0
4– श्रीमति आस्था मानसिंगका डाइरेक्टर मैसर्स एस्सपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 निवासी लक्ष्मी भवन बाजार नं. 3 स्टेशन रोड भीलवाडा राज0
5–श्री मनीष कुमार लाठ डाइरेक्टर मैसर्स एस्सपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 निवासी बी–159 शास्त्री नगर भीलवाडा राज0
6– मैसर्स एस्सपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी के प्रतिनिधि स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 20.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2017 को समय 1.12 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री बाल किशन आगीवाल पुत्र संभीर मल एफ.बी.ओ. मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 13 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)** जिसके बैच नं. आईडी 12004 व पैकिंग दिनांक 02/2017 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री बाल किशन आगीवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बाल किशन आगीवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500–500 ग्राम पैक की कुल 50 पोली पैक प्लास्टिक कट्टे **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)**रखे हुये मे से कुल 4 नग 500–500 ग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री बाल किशन आगीवाल को रू0 58/–अक्षरे अठावन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)** 500–500 ग्राम के 4 नग को चार भाग कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ. कोड एवं कमांक I–1551 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1551 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. बाल किशन आगीवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री बाल किशन आगीवाल ने मौके पर **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स एस्सपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 03653 दिनांक 04.12. 2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/1144 दिनांक 20.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/55/एक्ट/2017/55 दिनांक 22.02. 2017 अनुसार बाल किशन आगीवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई. बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई. बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सुफरफाइन मैदा जी.बी.आई.बी.आई.जी पोली पैक(Super Fine Maida GBI BIG poly Pack)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री बाल किशन आगीवाल पुत्र संभीर मल एफ.बी.ओ. मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(58)

कम्पनी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 13 जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री अनिल कुमार मानसिंगका डाइरेक्टर मैसर्स एस्सपाल इन्फास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 निवासी लक्ष्मी भवन स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनीष कुमार लाठ डाइरेक्टर मैसर्स एस्सपाल इन्फास्ट्रक्टर एण्ड डवलपेन्ट प्रा0 लि0 चौधरी मार्केट स्टेशन रोड भीलवाडा राज0 निवासी बी–159 शास्त्री नगर भीलवाडा राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner